न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
200 / 2019	25.11.2019	12.12.22

पीठासीन अधिकारी–हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1– भंवरलाल पुत्र रामकिशन
2– नवल किशोर पुत्र रामकिशन
जाति मेघवाल, निवासीगण ग्राम सीमलिया, तहसील दीगोद जिला कोटा

(वादीगण)

बनाम

1– गंगाराम आत्मज मांग्या लश्करी (चमार)
2– कान्हीबाई पुत्री मांग्या जाति लश्करी (चमार)
निवासीगण मारवाड़ा चोकी, तहसील दीगोद जिला कोटा
3– प्रोजेक्ट डायरेक्टर भारतमाला प्रोजेक्ट इन्द्राविहार कोटा
4– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की ओर से – श्री बलराम शर्मा एडवोकेट
प्रतिवादीगण 1 व 2 की ओर से– श्री प्रमोद चौधरी एडवोकेट
प्रतिवादी क्र 3 की ओर से – श्री रामबाबू राधीच एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53,188 आर.टी.एक्ट बाबत खातेदारी घोषणा ,बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

वादीगण ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम मण्डोला, पटवार हल्का सीमलिया, तहसील दीगोद जिला कोटा में आराजी खाता संख्या नया 24 व पुराना 25 की खसरा नम्बर 17 रकबा 1.15 हेक्टर, खसरा नम्बर 137 की रकबा 0.08 हेक्टर, व खसरा नम्बर 178 की 1.23 हेक्टर भूमि स्थित है। उपरोक्त आराजीयात के खातेदार गंगाराम व कान्हीबाई प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 का हिस्सा 1/2 व मोडीबाई पत्नि ओमप्रकाश हिस्सा 1/2 हे जो कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

यह कि खातेदार मोडीबाई जिसका उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा निहित था को मोडीबाई ने जरिये विक्रय पत्र वादीगण को बेचान कर दिया तथा बेचान करके खसरा

नम्बर 178 की 1.23 हेक्टर भूमि पर वादीगण को कब्जा मौके पर संभला दिया तब से वादीगण उपरोक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।

यह कि विवादित सम्पूर्ण भूमि इस समय वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, तथा अभी कानूनन बंटवारा नहीं हुआ है। लेकिन मौके पर प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 खसरा नम्बर 137 की 0.08 हेक्टर व खसरा नम्बर 17 की 1.15 हेक्टर भरूमि पर काबिज है व काश्त कर रहे है तथा वादीगण खसरा नम्बर 178 की 1.23 हेक्टर भरूमि पर काबिज है व काश्त कर रहा है।

यह कि संयुक्त खातेदारी में भूमि होने के कारण वादीगण व प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 के मध्य लगान आदि को लेकर विवाद होता रहता है। इस कारण वादीगण अपनी खरीद शुदा भूमि हिस्सा 1/2 जिसमें उनको बेचान के समय कब्जा दिया खसरा नम्बर 178 की 1.23 हेक्टर भूमि को पृथक करवा कर अपने खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है, प्रतिवादीगण व मोडीबाई खातेदारान के मध्य आपस में पूर्व में ही पारिवारिक बंटवारा हो गया था। जिसमें मोडीबाई के हिस्से में खसरा नम्बर 178 की 1.23 हेक्टर भूमि दी गइ थी तथा उसी भूमि की मोडीबाई ने वादीगण को बेचान कर कब्जा संभलाया है। इस कारण अब वादीगण उपरोक्त आराजीयात का बंटवारा करवाना चाहते है तथा अपना खाता पृथक करवाने के अधिकारी है।

यह कि प्रतिवादीगण नम्बर 3 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु आराजीयात को अधिग्रहण किया गया है जिसमें वादीगण की भूमि को अधिग्रहित किया गया है लेकिन उपरोक्त आराजीयात अभी वादीगण के संयुक्त खाते में होने के कारण प्रतिवादीगण अधिग्रहण की गई भूमि का दिये जाने वाला मुआवजा राशि को प्राप्त करने के प्रयास में हे जब कि खसरार नम्बर 178 की अधिग्रहित भूमि का सम्पूर्ण मुआवजा राशि वादीगण ही प्राप्त करने के अधिकारी है।

यह कि वादीगण ने प्रतिवादी नं0 3 से भी निवेदन किया कि खसरा नम्बर 178 की भूमि वादगण की खरीद शुदा है तथा भूमि भी उनकी अवाप्त की गई है इस कारण सम्पूर्ण बनने वाला मुआवजा राशि वादीगण को दी जावे। लेकिन प्रतिवादी नं0 3 ने इस हेतु मना कर दिया व प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 भी मुआवजा राशि में से राशि प्राप्त करने के प्रयास में है। इस कारण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से रूकवाया जाना आवश्यक हो गया है।

यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 से खरीद भूमि करने के बाद कई बार बंटवारा करवाने व खाते पृथक पृथक करवाने हेतु खरीद के बाद से ही निवेदन किया जाता आ रहा है लेकिन प्रतिवादीगण टालते रहे है व बंटवारा नहीं किया जिसके कारण प्रतिवादीगण के मन में बदयान्ती आ गई व वादीगण की भूमि को अधिग्रहण की गई है का मिलने वाले मुआवजा राशि में सेक राशि प्राप्त करने के प्रयास में है। इस कारण प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाना आवश्यक हो गया है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावेः–

(1) कि खसरा नम्बर 178 रकबा 1.23 हेक्टर वाके माल मण्डोला, तहसील दीगोद जिला कोटा का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावे।
(2) कि खाता संख्या नया 24 व पुराना 25 में दर्ज खसरा नम्बर 17 रकबा 1.15 हेक्टर व खसरा नम्बर 137 रकबा 0.08 हेक्टर व खसरा नम्बर 178 रकबा 1.23 हेक्टर भूमि का

वादीगण व प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 के मध्य बंटवारा की डिक्री पारित की जाकर वादीगण द्वारा खरीद भूमि खसरा नम्बर 178 की रकबा 1.23 हेक्टर वादीगण को खाता पृथक कर खाते दर्ज की जाने का आदेश प्रदान करें।

(3) यह कि वादीगण की खसरा नं0 178 की रकबा 1.23 हेक्टर भूमि जिस पर वादीगण का खरीद की तिथि से ही कब्जा व काश्त है, को प्रतिवादी नं0 3 द्वारा अधिग्रहण किया गया है का मुआवजा राशि वादीगण के अतिरिक्त किसी को नही दे। यानि प्रतिवादी नं0 1 व 2 को नहीं दें ऐसा कृत्य न तो प्रतिवादी नं0 3 करे न ही अपने प्रतिनिधियों से ही करवावे।

(4) अन्य न्यायोचित सहायता प्रतिवादीगण से जो मिल सके वह भी वादीगण को प्रदान की जावे।

वादी की ओर से संलग्न दस्तावेज

1– नकल जमाबन्दी ग्राम मण्डोला सम्वत 2073–2076
2– नकल नक्शा ट्रेस ग्राम मण्डोला
3– नकल खसरा गिरदावरी ग्राम मण्डोला
4– छाया प्रति विक्रय विलेख

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिवादी क्रम 1 व 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने जवाब प्रस्तुत कर विशेष कथन किया कि:–

1– यह कि वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 व 2 के संयुक्त खाते में ग्राम मण्डोला तहसील दीगोद में खसरा नम्बर 178, 17, व 137 की भूमि दर्ज चली आ रही है जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी नं0 1 व 2 का 1/2 हिस्सा दर्ज है। वादीगण ने उपरोक्त भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि को मोडीबाई से बजरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र से खरीद किया था। इस कारण वादीगण का उक्त भूमियों में 1/2 अविभाजित हिस्सा है। विवादित भूमियों का आज तक कोई विभाजन नहीं हुआ है।

2– यह कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3–डी के अन्तर्गत भारत माला परियोजना दिल्ली–मुम्बई एक्सप्रेसवे हेतु शामलाती खाते की ग्राम मण्डोला की खसरा नमबर 178 की 0.6808 हेक्टर भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है। जिसका अवार्ड 18,20,901/– रूप्ये का जारी किया गया है जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी नं0 1 व 2 का 1/2 हिस्सा है। वादीगण उक्त अवार्ड की सम्पूर्ण राशि प्राप्त करने की नियत से दावा पेश किया जो खारिज होने योग्य है।

3– यह कि वाद में वर्णित खसरा नम्बर 17, 137 व 178 की भूमि शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है इस कारण अधिग्रहित भूमि के अलावा शेष रही भूमि का मीन्ट्स एण्ड बाउन्स के आधार पर विभाजन किया जाना आवश्यक है।

4– यह कि प्रतिवादी नं0 3 द्वारा खसरा नम्बर 178 की 0.6808 हेक्टर भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है। इस कारण भी खसरा नम्बर 178 की 1.23 हेक्टर भूमि की खातेदार होने की व विभाजन में प्राप्त करने के वादीगण अधिकारी नहीं है।

प्रतिवादी नं0 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी नं0 3 द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत कर विशेष कथन किया कि–

कि वाद का क्रम 1 में आलेखित कृषि भूमि का जो वर्णन वादीगण द्वारा किया गया वह आराजी के सहखातेदार वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 रिकार्ड एवं 3–घ अधिसूचना में आलेखित सहखातेदार है आराजी का हिस्सा क्रय किया है उसका विभाजन नहीं हुआ है इसलिये कॉटीनेन्ट के विरूद्व कोई रिलीफ वादीगण प्राप्त नहीं कर सकते है।

अतः वादी से प्रतिवादी नं0 3 से कोई संबंधित नही होने से वाद पोषणीय नही है तथा वाद वादीगण का सव्यय खारिज किया जावे।

प्रकरण प्रतिवादीगण के जवाब उपरान्त तनकीयात कायम की जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण को साक्ष्य का अवसर दिया गया।

प्रकरण में उपभय पक्ष को सुना गया। वादीगण की ओर से दिनांक 27.01.2022 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 में आपसी सहमति से वाद का निपटारा कर प्रार्थना पत्र निम्न कथन के साथ पेश किया गया :–

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है पूर्व में जो भूमि भारतमाला परियोजना में अधिग्रहण की गई है उसकी आधी– आधी राशि वादीगण व प्रतिवागण को दे दी जाये तथा खसरा नम्बर 178 की 0.66 हे0 मे से वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को 1/2 भूमि दी जावे, खसरा नम्बर 17 की 1.15 हे0 की 1/2 एवं खसरा नम्बर 137 की 0.08 हे0 की 1/2 भूमि का विभाजन कर पृथक खाता किया जावे।

अतःराजीनामा पेश कर निवेदन किया कि मुताबिक राजीनामा डिक्री प्रदान कर दी जावें

उभय पक्ष की ओर से सहमति से राजीनामा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपने अपने पक्षकारान की परिचान की गई। प्रस्तुत राजीनामा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

दिनांक 27.01.2022 को प्राथमिक निर्णय डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार दीगोद से विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाया गया। प्राथमिक निर्णय अनुसार तहसीलदार दीगोद से पत्रांक भू0अभि0/2022/3256 दिनांक 16.08.2022 से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के अधिवक्ताओं ने विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। आदेशिका पर वादी एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ताओं ने प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करने का नोट अंकित किया गया है।

तहसीलदार दीगोद से वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के मध्य विभाजन प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्तावित किया गया:–

ग्राम मण्डोला के खाता सं0 27 खसरा नम्बर 137, 17, 178, 651/178 किता 4 रकबा 1.7972 हे0 में खाते में दर्ज खातेदारान के मध्य 1/2– 1/2 का विभाजन प्रस्ताव सभी पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार किया जो निम्नानुसार है:–

ि0	खातेदार	ख0नं0	रकबा	दिशा
	कान्हीबाई पुत्री मांग्या हि0 1/4 व गंगाराम पुत्र मांग्या हि0 3/4 जाति चमार सा0देह0	137 17 ——— किता 2	0.04 हे0 0.86 हे0 ——— 0.90 हे0	पश्चिम पश्चिम
2	नवलकिशोर ,भंवरलाल पुत्रान रामकिशन हि0 बराबर जाति मेघवाल सा0देह	137 17 650/178 651/178 ——— किता 4 ———	0.04 हे0 0.29 हे0 0.25 हे0 0.3192 ——— 0.8992 हेक्टर ———	पूर्वी पूर्वी पश्चिम पूर्वी

उपरोक्त उनवान का एक वाद माननीय न्यायालय में जेरकार है। जिसमे आज तारीख पेशी नियत है।

यह कि वादी व प्रतिवादीगण ने तहसीलदार दीगोद से प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर सहमति प्रकट करते हुए फाईनल डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया जो स्वीकार किया गया।

बहस उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की सुनी गयी। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं ने तहसीलदार दीगोद से प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर सहमति से वाद डिक्री करने पर कोई आपत्ति नही की है। वादीगण की पहिचान वादी अधिवक्ता से करवाई गयी एवं प्रतिवादीगण की पहिचान प्रतिवादी के अधिवक्ता से करवायी गयी। राजस्व रिकॉर्ड एवं वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज एवं उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस एवं प्रस्तुत प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का गहन अध्ययन व मनन किया गया। उभय पक्ष की ओर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति प्रकट करने के आधार पर वादी एवं प्रतिवादीगण का विभाजन किये जाने योग्य है।

निम्नानुसार विवादित भूमि में वादी व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति प्रकट करने पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है:—

क्र0	खातेदार	ख0नं0	रकबा	दिशा
1	कान्हीबाई पुत्री मांग्या हि0 1/4 व गंगाराम पुत्र मांग्या हि0 3/4 जाति चमार सा0देह0	137 17 ——— किता 2	0.04 हे0 0.86 हे0 ——— 0.90 हे0	पश्चिम पश्चिम
2	नवलकिशोर ,भंवरलाल पुत्रान रामकिशन हि0 बराबर जाति मेघवाल सा0देह	137 17 650/178 651/178 ——— किता 4<———	0.04 हे0 0.29 हे0 0.25 हे0 0.3192 ——— 0.8992 हेक्टर<———	पूर्वी पूर्वी पश्चिम पूर्वी

अतः प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। उभयत पक्ष में सहमति से प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा में तरमीम की जावे। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.12.22 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद